

# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शामरतन चौकशिया, आर०ए०एस० द्वारा अख्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रतिदि दिनांक

02 / 2024

18.01.2024

द्वारका प्रसाद पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी ग्राम बडला तहसील  
देवली जिला टोंक राज०

अपीलांत

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज०

रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा दिनांक 27.12.2023  
मिसल नम्बर 611/2023

उपस्थिति : (1) श्री शंकर चौधरी, अभिभाषक अपीलान्त  
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय परोकार रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 18.10.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अपीलान्त को भूमि आराजी खसरा नम्बर 72 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रामथला में से 37x90 वर्गफीट यानि लगभग 0.0350 हैक्टेयर किस्म जमीन बाराणी-3 सिवायचक वाके ग्राम रामथला पर नीव भरकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांत को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 0.24 रूपये का 50 गुणा जुर्माना कुल 12 रूपये आयद करने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांत की व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी तथा बिना तामील के उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को साक्ष्य सबूत प्रेश करने का कोई अवसर नहीं दिया और अपीलांत के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर



बहसिस्त विभा कलेक्टर  
टोंक

जाकर स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्टस का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। हलका पटवारी ने बिना मौके पर गये ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी तथा अपीलान्टस को हलका पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 27.12.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेंरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 72 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रामथला में से 37x90 वर्गफीट यानि लगभग 0.0350 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी-3 सिवायचक वाके ग्राम रामथला पर नीव भरकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर नीव भरकर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेंरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार नासिरदा से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार नासिरदा ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1529 दिनांक 04.10.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा के निर्णय दिनांक 27.12.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

समाप्त  
अति.जिला न्यायाधीश,  
टोक